न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 143 / 2010

1 नन्दाराम पुत्र पूराराम जाति माली निवासी बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 आसूराम 2 अमियाराम पिसरान प्रतापाराम जाति माली निवासी लालाणियों की ढाणी, बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री सुनिल मेराजा, वकील वादी।

2. श्री पवन गिरी, वकील प्रतिवादीगण।

निर्णय

दिनांक 04.11.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 902 / 390 रकबा 66.15 बीघा भूमि वादी की खातेदारी की कब्जा काश्त की आई हुई है, जिस पर वादी का पूर्ण स्वामित्व एवं कब्जा है तथा रहवास भी बना हुआ है। प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त की भूमि वादी के सेढे खसरा संख्या 940 / 390 व 941 / 390 की है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य लम्बे समय से राजस्व विवाद चलते रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की भूमि पर उतरी सेढा हटा कर धीरे–धीरे कब्जा करने लग गया। वादी मजदूरी पैसा वाला व्यक्ति होने से शहर में निवास करता है तथा काश्त के समय अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त करता है। ऐसी स्थिति में वादी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर प्रतिवादीगण ने वादी की खातेदारी भूमि में वादी के कब्जे को हटाकर 08.00 बीघा भूमि पर उतरी दिशा में परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल दर्शाये अनुसार अवैध कब्जा कर लिया। वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में एक आवेदन तरमीम दुरूस्ती बाबत् प्रस्तुत किया था, जो क्रमांक 245 / 2009 पर दर्ज किया गया तथा उक्त प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर से मोका स्थिति की रिपोर्ट भी तलब की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा दिनांक 15.04.2010 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमे प्रतिवादीगण द्वारा वादी एवं उसके भाई डूंगराराम की लगभग 10.00 बीघा भूमि पर अधिक कब्जा किया है। उक्त [illegible] अनुसार वादी की खसरा संख्या 902 / 390 में 08.00 बीघा [illegible] कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 1515 / 390 के 08.00 [illegible] पर अवैध अतिक्रमण पाया गया। लिहाजा वादी की [illegible] भूमि पर [illegible] अवैध अतिक्रमण को हटा कर उक्त भूमि वादी को सुपूर्द की जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश करते हुए निवेदन किया कि वादी के पिता पूराराम, जो प्रतिवादी संख्या 01 के सगे बड़े भाई है, के निधन पर उनके परिवार की देख–रेख तथा समस्त सामाजिक कार्यो को सुचारू रूप से चलाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:15:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

की नैतिक जिम्मेदारी प्रतिवादी संख्या 01 पर आ गई और उन समस्त विधिक आवश्यकताओं के कारण सहखातेदारी के खेत खसरा संख्या 390 में से रकबा 36.00 बीघा का बेचान प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा किया गया व इसी खसरे में से 22.08 बीघा सड़क के अधीन चले जाने से कम हुई। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी की कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 902/390 का सेढ़ा तोड़ कर अतिक्रमण नही किया है। इसके विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 का परिवार की आवासीय ढाणी, पक्का मकान तथा मवेशी का बाड़ा बना हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त परिवार के चलते वादी एवं उसकी बहनों तथा माता–पिता की परवरिष हेतु आवश्यक होने से इसी खसरा की 36.00 बीघा की भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 01 को करना पड़ा तथा उसके प्रतिफल की राशि का उपयोग वादी के परिवार की परवरिश में ही किया। इसलिए वाद संख्या 103/82 में राजीनामा करते समय प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे काश्त की 10.00 बीघा अधिक प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे में रखे जाने का समझौता हुआ तथा आवश्यकता होने पर वादी से लिखित दस्तावेज निस्पादित करवाना तय हुआ। इस प्रकार प्रतिवादीगण का कथित 10.00 बीघा भूमि पर निर्बाद रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण को अतिक्रमी नही माना जा सकता। तहसीलदार बाडमेर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 01 के पुराने कब्जे की पुष्टी की है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिदावा पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त 10.00 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण का 1982 से पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज कर प्रतिवादीगण को उक्त 10.00 बीघा भूमि, परिशिष्ठ–'अ' अनुसार, का खातेदार घोषित किया जावें।

वादी द्वारा प्रतिवादी के जवाब–उल–जवाब मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य कभी कोई पारिवारिक समझौता नही हुआ। वाद संख्या 103/1982 में श्रीमान् के द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जिसकी पालना में भूमि का विभाजन किया गया था। स्वर्गीय प्रतापाराम द्वारा स्वयं की निजी आवश्यकता के कारण अपने हिस्से में से 36.00 बीघा की भूमि का बेचान किया था। वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का कोई बेचान नही किया गया। पूराराम अपने जीवनकाल में ही प्रतापाराम से अलग हो गया था। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा वादी का भरण पोषण व देखभाल करने के तथ्य मन गंढत एवं गलत अंकित किये है। प्रकरण संख्या 103/1982 में पारित निर्णय दिनांक 29.12.1986 के अनुरूप [illegible] भाजन किया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त विभाजित [illegible] वादी की खातेदारी भूमि में सेढा तोड़ कर अवैध [illegible] का प्रतिदावा खारिज करते हुए वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन [illegible]या।

वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 का देहान्त दिनांक 08.11.2011 को हो जाने से उसका नाम हटाने का निवेदन किया तथा यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम पहले से प्रतिवादी के रूप में वाद पत्रावली पर मौजुद होने से प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:15:57 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 01 का नाम हटाने का निवेदन किया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी दिनांक 17.05.2012 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 का नाम वाद पत्रावली से हटाया गया।

विवादग्रस्त बिन्दु पुनः निर्धारित किये गये जो निम्नप्रकार है :–

1. आया कि वादी की खातेदारी की भूमि मौजा लालाणियों की ढाणी तहसील बाडमेर की खसरा संख्या 902/390 कुल रकबा 66.15 बीघा में उतरी भूमि की तरफ प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से करीबन 08 बीघा भूमि पर किये गये अतिक्रमण से प्रतिवादीगण की बेदखल कर कब्जा वादी को दिया जावें।

जिम्मे वादी

2. आया कि प्रतिवादीगण खेत खसरा संख्या 902/390 रकबा 66.15 बीघा मौजा लालाणियों की ढाणी के सम्बन्ध में वादी के उपभोग व उपयोग सम्बन्ध में वादी के उपभोग व उपयोग सम्बन्धी अधिकारों में हस्तक्षेप न करे व उक्त भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप एवं बाधा कारित नही करे, इस बाबत् प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्दित किया जावें।

जिम्मे वादी

3. आया वाद संख्या 103/82 में राजीनामा करते समय प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे काश्त में 10.00 बीघा अधिक भूमि रखे जाने को समझौता हुआ जिसमे खसरा संख्या 902/390 रकबा 10.00 बीघा भूमि प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी की घोषित करवाने के अधिकारी है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया मौजा लालाणियों की ढाणी खसरा संख्या 902/390 में करीबन 10.00 बीघा भूमि जो प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में वादी किसी प्रकार की दखलन्दाजी व हस्तक्षेप नही करे, इस बाबत् वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

जिम्मे प्रतिवादीगण

5. आया मौजा लालाणियों की ढाणी तहसील बाडमेर की खसरा संख्या 902/390 की वादग्रस्त 10.00 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण की आवासीय ढाणी, पक्का मकान, जोगमाया का मन्दिर, मवेशियों का बाड़ा, गुडाल तथा पानी का [illegible] बना हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:15:57 IST
Reason: SelfAttested

6. अन्य सहायता।

वादी की और से नक्शा परिशिष्ठ 'अ' प्रदर्श–01, फोटो प्रदर्श–02 तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटर्ड की प्राप्त पार्श्व (उपभोक्ता) की रसीद प्रदर्श–03 प्रस्तुत की। वकील वादी ने साक्ष्य स्वरूप वादी नन्दराम, पीडब्लू 01, गवाह नाथूराम पीडब्लू–02, गवाह विक्रमसिंह, पीडब्लू–03 को परिक्षित करवाया तथा वादी के वकील ने जमाबन्दी मौजा लालाणियों की ढाणी सवंत 2063–2066 प्रस्तुत की, जो ईएक्स–01

उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

है, नक्शा मौजा लालाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 902/390, 940/390 व 941/390 जो ईएक्स–02 है, जमाबन्दी मौजा लालाणियों की ढाणी सवंत 2063–2066 प्रस्तुत की, जो ईएक्स–03 है।

वकील प्रतिवादी की और से प्रतिवादी अमृतलाल डीडब्लू–01 गवाह पन्नेसिंह, गवाह लाभूराम डीडब्लू–03, एवं गवाह बन्शीलाल डीडब्लू–02 को परिक्षित करवाया गया।

तनकी संख्या 01 :– इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य मौजा लालाणियों की ढाणी सवंत 2063–2066 प्रस्तुत की, जो ईएक्स–01 है, नक्शा मौजा लालाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 902/390, 940/390 व 941/390 जो ईएक्स–02, जमाबन्दी मौजा लालाणियों की ढाणी सवंत 2063–2066 प्रस्तुत की, जो ईएक्स–03 से प्रमाणित है कि मौजा लालाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 902/390 रकबा 66.15 बीघा भूमि वादी की खातेदारी की है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी की कुल भूमि में से रकबा 08.00 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, जो प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त 10.00 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण का 1982 से पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार के साक्ष्य एवं राजस्व दस्तावेज सबूत प्रस्तुत नही किये है जिससे यह साबित हो कि उक्त रकबा 08.00 बीघा भूमि जो वादी की खातेदारी में अंकित है, को प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित करवाने के प्रतिवादीगण अधिकारी है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी ठोस सबूत एवं राजस्व रिकॉर्ड के वादी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। **लिहाजा तनकी संख्या 01 बहक वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।**

तनकी संख्या 02 :– इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी के पक्ष में तनकी संख्या 01 को साबित करने में सफल हुआ है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत अनुसार वादी की 08.00 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा दिनांक 15.04.2010 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमे तहसीलदार बाडमेर ने अंकित किया है [illegible] में मौके पर खातेदारान का कब्जा काश्त अनुसार मौके पर [illegible] प्रतिवादीगण का लगभग 10.00 बीघा भूमि पर कब्जा अधिक है जिससे यह साबित है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी की लगभग 10.00 [illegible] कब्जा किया हुआ है **लिहाजा तनकी संख्या 02 बहक वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:15:57 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्या 03 :– इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। चूंकि तनकी संख्या 01 व 02 वादी साबित करने में सफल रहा है तथा प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार का कोई साक्ष्य दस्तावेज या सबूत एवं प्रमाणित राजस्व

रिकॉर्ड प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 902/390 में रकबा 10.00 बीघा जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा है वह प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित की जावें। लिहाजा तनकी संख्या 03 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 04 :– इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। तनकी संख्या 03 साबित करने में प्रतिवादीगण विफल रहे है। **लिहाजा तनकी संख्या 04 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।**

तनकी संख्या 05 :– इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की थी। तनकी संख्या 03 व 04 प्रतिवादीगण साबित करने में विफल रहे है तथा तनकी संख्या 01 व 02 भी वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की गई है। लिहाजा तनकी संख्या 05 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने तनकी संख्या 01 व 02 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है तथा प्रतिवादीगण तनकी संख्या 03 से 05 को साबित करने में असफल रहे है तथा न ही प्रतिवादीगण ने एसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह साबित हो कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है। प्रतिवादीगण द्वारा किया गया वादी के खसरे में अवैध कब्जे को हटाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। तहसीलदार बाडमेर की रिपोर्ट से यह साबित है कि वादी के खसरे में प्रतिवादीगण द्वारा कच्चा–पक्का निर्माण किया गया है जो अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। लिहाजा प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे को हटाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 902/390 में 08.00 बीघा भूमि पर जो वादी की खातेदारी की भूमि है, पर किये गये अवैध कब्जे को प्रतिवादीगण, वादी को कब्जा सुपूर्द करें। वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधज्ञा जारी की जाती है कि वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का हस्तक्षप नही करे तथा मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। **तहसीलदार बाडमेर उक्त अवैध कब्जे को प्रतिवादीगण से वादी को कब्जा दिलवाया जाना सुनिश्चित कर निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।** डिकरी पर्चा मुरत्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 04.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 04.11.2022 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:15:57 IST
Reason: SelfAttested